

Order No:- 363L/2021-22



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु.)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक- 09.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश


माननीय सांसद **Smt. Pratima Mondal** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. **522** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र **2021-22** में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	AISHEE MONDAL	PRANAB MONDAL, MOB-9749235746	2	BALLYGUNGE
2	ADRIJ NASKAR	PARITOSH NASKAR, MOB-8001835753	1	BALLYGUNGE
3	AROHI RAJ	ANWAR HOSSEN LASKAR, MOB-8001080909,9933553832	1	BALLYGUNGE
4	SAMPURNA BANERJEE	PARTHA SARATHI, MOB-93828822766	8	BALLYGUNGE
5	RUDRA DAS	BASUDEB DAS, MOB-9635459691, 9800984239	6	BALLYGUNGE
6	RATNADEEP DAS	PRASANTA DAS, MOB-8777241297	7	BALLYGUNGE
7	ADITYA GUPTA	ARUNAVA GUPTA, MOB-9748010405	1	BALLYGUNGE
8	PRIYANSHU SAHA	SHANKU SAHA, MOB-9831949441, 7596945369	1	BALLYGUNGE
9	PALAK KUMARI SINGH	PAWAN SINGH, MOB-8420761160,9903974654	2	BALLYGUNGE
10	ANUSHKA MANDAL	ANANDAMAY MANDAL, MOB-7384948313/7872424778	5	BALLYGUNGE

कृ. पृ. उ.
पि. त्रिवेदी

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Smt. Pratima Mondal माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, KOLKATA संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई. मेल)